

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2607/2024

दिनांक : 13.08.2024

श्री पवन कुमार शर्मा (RJ00203), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—2005 क्रम—01, कोटा को दिनांक 05.07.2024 से 09.07.2024 तक 05 दिनों का उपर्युक्त अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री शर्मा की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—2005 क्रम—02, कोटा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—2005 क्रम—01, कोटा के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

13/08/2024
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/09/1996/ 6396

दिनांक : 13.08.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—2005 क्रम—01, कोटा को उनके पत्रांक 13 दिनांक 10.07.2024 के सन्दर्भ में।
- श्री पवन कुमार शर्मा (RJ00203), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—2005 क्रम—01, कोटा।
- विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—2005 क्रम—02, कोटा।

13/08/2024
सहायक रजिस्ट्रार